[2018] 5 एस.सी.आर. 619

आयकर उप आयुक्त, चेन्नई

बनाम

टी०जयचंद्रन

(2018 की सिविल अपील संख्या 4341) 24 अप्रैल, 2018

[आरके अग्रवाल और नवीन सिन्हा, जेजे]

आयकर अधिनियम, 1961 – अतिरिक्त ब्याज – उत्तरदाता, इंडियन बैंक के लिए एक अनुमोदित ब्रोकर – राजस्व का मामला यह था कि इंडियन बैंक ने पीएसयू से राशि प्राप्त करने और उच्च ब्याज दर पर सावधि जमा करने के माध्यम से अपना धन जुटाया – इन पीएसयू को उच्च ब्याज का भुगतान करने के लिए, बैंक ने प्रतिवादी से अपनी ओर से प्रतिभूतियां खरीदने का अनुरोध किया – इसके बाद, प्रतिवादी ने बैंक द्वारा उद्धृत एक विशेष दर पर प्रतिभूतियां खरीदीं और इंडियन बैंक की ओर से किए गए लेनदेन के संबंध में कमीशन का भुगतान किया गया – इंडियन बैंक के निर्देशों के तहत, इंडियन बैंक की ओर से किए गए सुरक्षा लेनदेन से प्राप्त राशि का एक हिस्सा इंडियन बैंक में जमा राशि पर कुछ पीएसयू को अतिरिक्त ब्याज के रूप में भुगतान किया गया – निर्धारण अधिकारी ने प्रतिवादी से पीएसयू को देय राशि के संबंध में यह कहते हुए मांग की कि प्रतिवादी ने किए गए लेनदेन में दलाल के रूप में कार्य नहीं किया है बल्कि एक स्वतंत्र डीलर के रूप में कार्य किया और प्रतिभूति लेनदेन से अर्जित अतिरिक्त राशि के संबंध में पीएसयू के पक्ष में कोई ओवरराइडिंग शीर्षक नहीं था और उक्त राशि का मूल्यांकन प्रतिवादी की आय के रूप में किया जाना चाहिए। क्या पीएसयू को देय कथित ब्याज का मूल्यांकन प्रतिवादी की आय के रूप में किया जाना चाहिए – माना गया: क्या पीएसयू को देय कथित ब्याज का आकलन प्रतिवादी की आय के रूप में किया जा सकता है, जो भारतीय बैंक और प्रतिवादी के बीच लेनदेन के संबंध में संबंधों की वास्तविक प्रकृति और उस क्षमता के निर्धारण पर निर्भर करता है जिसमें उसने राशि रखी थी – सरकारी प्रतिभूतियों में सामान्य निपटान प्रक्रिया यह है कि लेनदेन के दौरान बैंक भुगतान करते हैं और प्रतिभूतियों को सीधे एक दूसरे को वितरित करते हैं – ब्रोकर का एकमात्र कार्य खरीदार और विक्रेता को एक साथ लाना और उन्हें उन शर्तों पर बातचीत करने में मदद करना है जिनके लिए वह दोनों पक्षों से कमीशन कमाता है – वह नकदी या प्रतिभूतियों का प्रबंधन नहीं करता है

बैंक अधिकारियों द्वारा दिये गये साक्ष्य से पता चलता है कि प्रतिभूतियों की कीमत स्वयं बैंक अधिकारियों द्वारा तय की गई थी और उनके निर्देशानुसार प्रतिवादी ने बाजार मूल्य पर प्रतिभूतियों को खरीदा था और अंतर राशि का उपयोग पीएसयू को अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करने के लिए बैंक से डिमांड ड्राफ्ट लेने के लिए करने का निर्देश दिया गया था जो इस तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त है कि प्रतिवादी ने बैंक के दलाल के रूप में काम किया था। इसलिए, पीएसयू को देय अतिरिक्त ब्याज को उसकी संपत्ति या आय नहीं माना जा सकता है।

अपीलो को निस्तारित करते हुए, न्यायालय ने कहा:

1. क्या पीएसयू को देय कथित ब्याज को प्रतिवादी की आय के रूप में मूल्यांकन किया जा सकता है, यह भारतीय बैंक और प्रतिवादी के बीच लेनदेन के संबंध में संबंधों की वास्तविक प्रकृति के निर्धारण पर निर्भर करता है और जिस क्षमता में उसने 14,73,91,000 रुपये की राशि रखी थी। सरकारी प्रतिभूतियों में सामान्य निपटान प्रक्रिया यह है कि लेनदेन के दौरान बैंक भुगतान करते हैं और प्रतिभूतियों को सीधे एक

दूसरे को वितरित करते हैं। ब्रोकर का एकमात्र कार्य खरीदार और विक्रेता को एक साथ लाना है और उन्हें उन शर्तों पर बातचीत करने में मदद करना है जिनके लिए वह दोनों पक्षों से कमीशन कमाता है। वह नकदी या प्रतिभूतियों का प्रबंधन नहीं करता है। इस संबंध में, ब्रोकर अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में ब्रोकर की तरह कार्य करता है। प्रश्नगत लेन–देन में प्रतिवादी के आचरण को पूरी तरह से व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के भीतर नहीं कहा जा सकता है और अनियमितताओं को उस तरीके से देखा जा सकता है जिसमें पूरे लेनदेन किए गए थे। हालांकि, यह प्रतिवादी को विचाराधीन राशि के संबंध में कर के लिए उत्तरदायी ठहराने का आधार नहीं हो सकता है और यह देखने की आवश्यकता है कि प्रतिवादी को कोई वास्तविक आय अर्जित हुई है या नहीं। यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी ने किस हैसियत से उक्त राशि को स्वतंत्र रूप से या इंडियन बैंक की ओर से धारण किया। [पैरा 10, 11] [625–ई–जी; 626–ए]

2. आपराधिक कार्यवाही के दौरान सामने आए सबूतों से इंडियन बैंक और प्रतिवादी के बीच संबंध बहुत स्पष्ट है। बैंक के कार्यकारी निदेशक ने विशेष रूप से आयकर उपायुक्त, चेन्नई के दलाल के रूप में प्रतिवादी की भूमिका के बारे में बात की है और बैंक ने पीएसयू के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट लेने के उद्देश्य से भुगतान किए गए विचार में ब्याज राशि को भी शामिल किया है। इसके अलावा, अन्य बैंक अधिकारियों के नेतृत्व में साक्ष्य बताते हैं कि प्रतिभूतियों की कीमत स्वयं बैंक अधिकारियों द्वारा तय की गई थी और उनके निर्देशों के अनुसार प्रतिवादी ने बाजार मूल्य पर प्रतिभूतियां खरीदी थीं और अंतर राशि का उपयोग पीएसयू को अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करने के लिए बैंक से डिमांड ड्राफ्ट लेने के लिए करने का निर्देश दिया गया था। पार्टियों का आचरण, जैसा कि आपराधिक कार्यवाही में दर्ज किया गया है, जिसमें दलाल द्वारा राशि की प्राप्ति, रसीद का उद्देश्य और बैंक के कहने पर दलाल द्वारा लिए गए डिमांड ड्राफ्ट इस तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त थे कि प्रतिवादी ने बैंक के दलाल के रूप में काम किया और, इसलिए, पीएसयू को देय अतिरिक्त ब्याज को उसकी संपत्ति या आय नहीं माना जा सकता है। [पैरा 12] [626–एफ–एच; 627–ए–बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2018 की सिविल अपील संख्या 4341।मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 29.10.2012 के आदेश से 2005 के टीसी संख्या 368 में 2018 के सिविल अपील संख्या 4342–4243, 4349–4350, 4344, 4346–4348, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4345, 4350 and 4357 के साथ

अपीलकर्ता के वकील अरिजीत प्रसाद, सुश्री साधना संधू (श्रीमती अनिल कटियार के लिए) बिस्वजीत भट्टाचार्य, अरविंद पी. दातार, मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता, एलम भारती, सुमित कुमार, प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, अनुज सरमा, सुश्री निहारिका, सुश्री कनिका कलैयारासन (मेसर्स केजे जॉन एंड कंपनी के लिए), प्रीतेश कपूर, संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, सुश्री शुभ्रा कपूर, संजय कपूर, सुश्री वनिता भार्गव, अजय भार्गव, रॉय ओ जॉन (मेसर्स केजे जॉन एंड कंपनी के लिए) उत्तरदाता के अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय आर.के.अग्रवाल, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अपील की अनुमति प्रदान की गई।

2. वर्तमान अपील 2005 के कर मामले (अपील) संख्या 368 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 29.10.2012 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाए गए अतिरिक्त कर दायित्व को समाप्त करके प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। दिनांक 25.01.1996 के आदेश द्वारा।

3.संक्षिप्त तथ्य:–

(क) प्रतिवादी – एक व्यक्ति और मैसर्स चंद्रकला एंड कंपनी का मालिक, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज के साथ पंजीकृत एक स्टॉक ब्रोकर है। वह इंडियन बैंक का अनुमोदित ब्रोकर बताया जाता है। यहां विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष क्रमश 1991–92, 1992–93 और 1993–94 हैं। इन सभी प्रासंगिक मूल्यांकन वर्षों के दौरान प्रतिवादी ने विभिन्न वित्तीय संस्थानों से प्रतिभूतियों की खरीद में इंडियन बैंक के ब्रोकर के रूप में काम किया।

(ख) यह राजस्व का मामला है कि इंडियन बैंक ने बाजार से उधार लिए गए धन पर असामान्य रूप से उच्च ब्याज दर से प्रभारित किए जाने से स्वयं को बचाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को उच्च ब्याज दर पर उसके पास सावधि आवधिक जमा करने का प्रलोभन दिया। पीएसयू को भारी–भरकम मीयादी जमा राशियों के लिए दी जाने वाली ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार अनुमोदित 8 प्रतिशत ब्याज दर की तुलना में सावधि जमाओं पर 12.75 प्रतिशत की सीमा तक थी।

(ग) इंडियन बैंक में सावधि आवधिक जमा करने वाले पीएसयू को अधिक ब्याज का भुगतान करने के लिए, बैंक ने प्रतिवादी से अनुरोध किया कि वह अपनी ओर से प्रतिभूतियों को एक निर्धारित मूल्य पर खरीदे जो असामान्य रूप से अधिक हो लेकिन प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य को कवर करने के लिए पर्याप्त हो, इन लेनदेनों पर प्रतिवादी द्वारा लगाए जाने वाले ब्रोकरेज/आकस्मिक शुल्क, पीएसयू को देय अतिरिक्त ब्याज को कवर करने के अलावा। प्रतिवादी ने इंडियन बैंक के निर्देश पर बैंक द्वारा उद्धृत एक विशेष दर पर प्रतिभूतियां खरीदीं और उन्हें भारतीय रेलवे वित्त निगम को बेच दिया। बैंक ऑफ मदुरा वह रूटिंग बैंक था जिसके माध्यम से प्रतिभूतियों को इंडियन बैंक को खरीदा और बेचा गया था, जिसके लिए बैंक ऑफ मदुरा ने सेवा शुल्क लिया था। प्रतिवादी को इंडियन बैंक की ओर से किए गए लेनदेन के संबंध में कमीशन का भुगतान किया गया था। इंडियन बैंक के निर्देशों के तहत, इंडियन बैंक की ओर से किए गए सुरक्षा लेनदेन से प्राप्त राशि का एक हिस्सा इंडियन बैंक और आठ सार्वजनिक उपक्रमों में से कुछ तीन पीएसयू (पीएसयू) को जमा राशि पर अतिरिक्त ब्याज के रूप में भुगतान किया गया था। और आठ पीएसयू में से तीन ने डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ऐसे अतिरिक्त ब्याज की प्राप्ति की पुष्टि की है।

(घ) प्रतिवादी ने 01–11–1993 को आकलन वर्ष 1991–92 के लिए अपनी आय विवरणी दाखिल की और अपनी आय 4,82,83,620/– रुपये घोषित की। दिनांक 30.06.1994 के आदेश द्वारा कुल आय 4,85,46,120/– निर्धारित की गई थी। हालांकि, बाद में, मामले को जांच के लिए लिया गया और आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 143 (3) के तहत मूल्यांकन तैयार किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 25.01.1996 के आदेश के तहत पीएसयू को देय राशि के संबंध में 14,73,91,000/– रुपये की राशि की मांग करते हुए कहा कि प्रतिवादी ने इंडियन बैंक के लिए किए गए लेनदेन में ब्रोकर के रूप में नहीं बल्कि एक स्वतंत्र डीलर के रूप में काम किया है और प्रतिभूतियों के लेनदेन से अर्जित अतिरिक्त राशि के संबंध में पीएसयू के पक्ष में कोई ओवरराइडिंग टाइटल नहीं है। यह

उपार्जन के बाद आय के आवेदन का मामला है और इसलिए, उक्त राशि का मूल्यांकन प्रतिवादी की आय के रूप में किया जाना चाहिए।

(ङ) प्रतिवादी ने आदेश से असंतुष्ट होकर आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील किया। विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने दिनांक 08.08.1996 के आदेश द्वारा, प्रतिवादी के पक्ष में मुद्दे पर निर्णय लेते हुए अतिरिक्त कर की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि पीएसयू को देय कथित अतिरिक्त ब्याज को प्रतिवादी की आय के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(च) दिनांक 08–08–1996 के आदेश से व्यथित होकर राजस्व ने आईटीए संख्या 2297(एमडीएस)/ 1996 आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित) के समक्ष अपील दायर की। न्यायाधिकरण ने दिनांक 05–01–2005 के आदेश के तहत राजस्व द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और कहा कि प्रतिवादी को प्राप्त राशि, जिसे पीएसयू को कथित रूप से देय माना जाता है, प्रतिवादी की आय है और पीएसयू के पक्ष में कोई अभिभावी शीर्षक मौजूद नहीं है जिससे आय का परिवर्तन हो।

(छ) यह ध्यान रखना उचित है कि इस बीच प्रतिवादी के साथ–साथ 1997 की संख्या सीसी 17 वाले अन्य लोगों के खिलाफ वर्तमान लेन–देन के संबंध में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही का निर्णय सीबीआई अदालत द्वारा 27–04–2004 को किया गया था। अदालत ने प्रतिवादी को बरी करते हुए कहा कि इंडियन बैंक और प्रतिवादी के बीच का संबंध प्रिंसिपल–एजेंट का है और लेनदेन के संबंध में प्रतिवादी ने एक ब्रोकर की क्षमता में काम किया, न कि एक व्यक्तिगत डीलर के रूप में। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने ट्रायल कोर्ट में पेश किए गए सबूतों पर भरोसा करने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि मूल्यांकन कार्यवाही आपराधिक कार्यवाही से अलग है और ट्रायल कोर्ट में पेश किए गए सबूतों को प्रतिवादी को कर दायित्व से मुक्त करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है।

(ज) आईटीएटी के दिनांक 05–01–2005 के आदेश से व्यथित होकर करदाता ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2005 की कर केस अपील संख्या 368 दायर की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 29.10.2012 के आदेश के तहत इस संबंध में आपराधिक मामले में दिए गए साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए अधिकरण के आदेश को निरस्त कर दिया। इसलिए, यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दायर की जाती है।

विचारार्थ बिन्दु:–

4. इस न्यायालय के समक्ष विचार करने के लिए एकमात्र बिंदु यह है कि क्या वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि पीएसयू को देय कथित अतिरिक्त ब्याज का मूल्यांकन प्रतिवादी की आय के रूप में नहीं किया जा सकता है?

प्रतिद्वंद्वी तर्क:

5. राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही में दिए गए सबूतों पर भरोसा करके गलती की क्योंकि आपराधिक कार्यवाही की प्रकृति मूल्यांकन कार्यवाही से अलग है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय पारित करते समय मैसर्स इंडियन बैंक के दिनांक 25.03.1994 के पत्र पर भरोसा किया। हालांकि, उच्च न्यायालय इस तथ्यात्मक स्थिति पर विचार करने में विफल रहा कि 8 पीएसयू में से केवल 3 ने डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त होने की पुष्टि की है। शेष 5 पीएसयू ने प्रतिवादी श्री टी जयचंद्रन या मैसर्स इंडियन बैंक से ऐसा कोई डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त करने से इनकार कर दिया और उच्च न्यायालय के लिए प्रतिवादी के इस तर्क को स्वीकार करना

उचित नहीं था कि पीएसयू के पक्ष में इंडियन बैंक द्वारा उन्हें कथित तौर पर अतिरिक्त ब्याज का कुछ अभिभावी शीर्षक था।

6. राजस्व के विद्वान वकील ने अंत में तर्क दिया कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू निर्णय कानून की दृष्टि से खराब है और इस न्यायालय द्वारा इसे रद्द करने की आवश्यकता है।

7. इसके विपरीत, प्रतिवादी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी की भूमिका केवल पीएसयू को देय अतिरिक्त ब्याज के संबंध में डिमांड ड्राफ्ट लेने के लिए एक माध्यम की थी और इंडियन बैंक की ओर से लिया गया डिमांड ड्राफ्ट प्रतिवादी की कुल आय का हिस्सा नहीं था और इसमें राशि के संदर्भ में पीएसयू के पक्ष में एक अभिभावी शीर्षक मौजूद है , अर्थात् पीएसयू को अतिरिक्त ब्याज देय है।

8. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि हालांकि मूल्यांकन कार्यवाही आपराधिक कार्यवाही से प्रकृति में अलग है, लेकिन यह साबित सबूतों के आधार पर ट्रायल कोर्ट द्वारा किए गए वैध निष्कर्ष को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है। वरिष्ठ वकील ने अंत में कहा कि उच्च न्यायालय ने आपराधिक मामले में घटनाक्रम पर ध्यान देते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी इंडियन बैंक के दलाल या एजेंट के रूप में काम कर रहा था और उच्च न्यायालय का आदेश कानून के मापदंडों के भीतर था और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

9. हमने दोनों पक्षों के वकीलों को सुना है और मामले के तथ्यो का अवलोकन किया।

चर्चा:–

10. इस संक्षिप्त प्रश्न का उत्तर कि क्या पीएसयू को देय कथित ब्याज का मूल्यांकन प्रतिवादी की आय के रूप में किया जा सकता है, भारतीय बैंक और प्रतिवादी के बीच लेनदेन के संबंधों की वास्तविक प्रकृति और किस क्षमता में राशि उसके पास 14,73,91,000/– थी,के निर्धारण पर निर्भर करता है। अब, भारतीय बैंक और उत्तरदाता के बीच संबंधों के प्रश्न पर आते हुए, सरकारी प्रतिभूतियों में सामान्य निपटान प्रक्रिया यह है कि लेनदेन के दौरान बैंक भुगतान करते हैं और प्रतिभूतियों को सीधे एक दूसरे को वितरित करते हैं। ब्रोकर का एकमात्र कार्य खरीदार और विक्रेता को एक साथ लाना है और उन्हें उन शर्तों पर बातचीत करने में मदद करना है जिनके लिए वह दोनों पक्षों से कमीशन कमाता है। वह न तो नकदी और न ही प्रतिभूतियों को संभालता है। इस संबंध में, ब्रोकर अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में ब्रोकर की तरह कार्य करता है। प्रश्नगत लेन–देन में प्रतिवादी के आचरण को पूरी तरह से व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के भीतर नहीं कहा जा सकता है और अनियमितताओं को उस तरीके से देखा जा सकता है जिसमें पूरे लेनदेन किए गए थे। हालांकि, यह प्रतिवादी को प्रश्नगत राशि के संबंध में कर के लिए उत्तरदायी ठहराने का आधार नहीं हो सकता है और यह देखने की आवश्यकता है वह यह है कि प्रतिवादी को कोई वास्तविक आय अर्जित हुई है या नहीं।

11. यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी ने किस हैसियत से उक्त राशि को स्वतंत्र रूप से या इंडियन बैंक की ओर से धारण किया। निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 25.01.1996 को आदेश पारित करते हुए कहा है कि पीएसयू को अतिरिक्त ब्याज के भुगतान के बारे में प्रतिवादी और इंडियन बैंक के बीच कोई समझौता नहीं है और पीएसयू के लिए अतिरिक्त ब्याज के संबंध में कोई अभिभावी शीर्षक नहीं था। हालांकि, इस संबंध में स्थिति बहुत हद तक तय है कि समझौता लिखित रूप में नहीं होना चाहिए, बल्कि मौखिक भी हो सकता है और पार्टियों के आचरण से इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

12. इसके अलावा, प्रतिवादी के दावे और निर्धारण अधिकारी के दृष्टिकोण पर विचार करते समय, बैंक ने स्वयं प्रतिवादी के साथ कैसा व्यवहार किया था, यह प्रासंगिकता का विषय है। शुरुआत में, राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि आयकर अधिनियम के तहत कार्यवाही स्वतंत्र है और उच्च न्यायालय ने आपराधिक अदालत के निष्कर्षों पर भरोसा करके गंभीर त्रुटि की है। हमें अपीलकर्ता की तर्क में कोई बल नहीं मिलता है क्योंकि उच्च न्यायालय ने यह नहीं माना है कि आपराधिक अदालत के निष्कर्ष राजस्व अधिकारियों के लिए बाध्यकारी हैं। बल्कि उच्च न्यायालय का विचार था कि आपराधिक अदालत द्वारा किए गए निष्कर्षों को मामले के पक्षों के बीच संबंधों के सवाल पर फैसला करते समय ध्यान में रखा जा सकता है। जब किसी आपराधिक अदालत द्वारा सबूतों और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो इसके विपरीत दिखाए गए किसी भी चीज़ के अभाव में, ऐसा कोई कारण नहीं दिखता है कि इन विधिवत साबित सबूतों पर अदालत द्वारा भरोसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में सीबीआई अदालत द्वारा दिए गए निष्कर्षों का विशेष रूप से मूल्यांकन किया है। आपराधिक कार्यवाही के दौरान सामने आए सबूतों से इंडियन बैंक और प्रतिवादी के बीच संबंध बहुत स्पष्ट है। बैंक के कार्यकारी निदेशक ने विशेष रूप से प्रतिभूतियों की खरीद के लिए बैंक द्वारा द्वारा नियुक्त ब्रोकर के रूप में प्रतिवादी की भूमिका के बारे में बात की है और बैंक ने पीएसयू के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट लेने के उद्देश्य से ब्याज के पैसे को भी भुगतान किए गए विचार में शामिल किया है। इसके अलावा, अन्य बैंक अधिकारियों द्वारा दिये गये साक्ष्य बताते हैं कि प्रतिभूतियों की कीमत स्वयं बैंक अधिकारियों द्वारा तय की गई थी और उनके निर्देशों के अनुसार प्रतिवादी ने प्रतिभूतियों को बाजार मूल्य पर खरीदा था और अंतर राशि को अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करने के लिए बैंक से ही डिमांड ड्राफ्ट लेने के लिए उपयोग करने का निर्देश पीएसयू को दिया गया था। इसके अलावा, बैंक द्वारा दिनांक 25.03.1994 के पत्र जिसमें बैंक ने उत्तरदाता द्वारा लिए गए डिमांड ड्राफ्ट की प्राप्ति को स्वीकार किया था, विचाराधीन राशि रखने में प्रतिवादी की क्षमता के बारे में एक धुंधली तस्वीर देता है। नतीजतन, पक्षकारो का आचरण, जैसा कि दलाल द्वारा राशि की प्राप्ति, प्राप्ति का उद्देश्य और बैंक के इशारे पर ब्रोकर द्वारा लिए गए डिमांड ड्राफ्ट को दिखाते हुए आपराधिक कार्यवाही में दर्ज किया गया है, इस तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि प्रतिवादी ने बैंक के लिए एक दलाल के रूप में काम किया और, इसलिए, पीएसयू को देय अतिरिक्त ब्याज को उसकी संपत्ति या आय नहीं माना जा सकता है।

13. उत्तरदाता को वास्तव में जो आय अर्जित हुई है वह कर योग्य है। वास्तव में कितनी आय हुई है इसका निर्णय आय की भौतिक प्राप्ति के संदर्भ में नहीं, बल्कि वास्तविकता में आय की प्राप्ति के आधार पर किया जाना चाहिए। इस तथ्य को देखते हुए कि प्रतिवादी ने केवल एक दलाल के रूप में कार्य किया था और 14,73,91,000/– रुपये की राशि पर किसी भी स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता था और यह कि धन की प्राप्ति केवल इंडियन बैंक द्वारा देय अंतर ब्याज के भुगतान के लिए डिमांड ड्राफ्ट लेने के उद्देश्य से थी और प्रतिवादी ने वास्तव में उक्त धन को बैंक को ही सौंप दिया था, हमें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि प्रतिवादी ने प्रतिभूतियों की बिक्री के समय बैंक के साथ हुई पूर्व सहमति के आधार पर इंडियन बैंक की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को भुगतान की जाने वाली उक्त राशि को ट्रस्ट में रखा था और इसलिए, 14,73,91,000/– रुपये की उक्त राशि को प्रतिवादी की आय नहीं कहा जा सकता है। उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

14. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील को बिना किसी आदेश के खारिज किया जाता है। उपर्युक्त को दृष्टिगत, सभी संबंधित अपीलों का भी तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

अपीलें निस्तारित की जाती है।

देविका गुजराल

vetted by Vidisha Bhushan